न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

करण संख्या 220 / 2022

त्येन्द्र पुत्र झाबरमल, उम्र 25 वर्ष, जाति माली, निवासी नया कुआं, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

——आवेदक

बनाम

1. सुनिल कुमार चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बुहाना।
2. रामेश्वर पुत्र पिरूराम
3. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
4. सज्जन पुत्र रामेश्वर
5. पवन कुमार पुत्र रामेश्वर
6. मंजू देवी पत्नि बाबूलाल
7. राजकुमारी पत्नि सज्जन सिंह
8. मधुबाला पत्नि पवन
9. राहुल पुत्र बाबूलाल
10. नवीन पुत्र बाबूलाल
11. रूचिका पुत्री बाबूलाल
12. मंनि पुत्र सज्जन सिंह
13. श्योबाई पत्नि रामेश्वर
    समस्त जाति माली, निवासीगण नया कुआं, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
14. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद, जाति माली, निवासी मण्डावा हाल आबाद सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
15. विनिता पत्नि ओमप्रकाश, जाति माली, निवासी मण्डावा हाल आबाद सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
16. पूजा पुत्री राधेश्याम, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 17, पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
17. मितेश सैनी पुत्र संतकुमार, जाति माली, निवासी मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
18. संतकुमार पुत्र प्रहलाद, जाति माली, निवासी मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
19. योगेश कुमार पुत्र हरचंद, जाति माली, निवासी जयसुख की ढाणी बडागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
20. देवेन्द्र सैनी पुत्र हरचंद, जाति माली, निवासी जयसुख की ढाणी बडागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
21. रजत कुमार पुत्र राधेश्याम, जाति माली, निवासी मांवडिया की ढाणी, चिडावा।
22. राधेश्याम पुत्र जमनाधर, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 17, पिलानी।
23. शारदा पत्नि राधेश्याम, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 17, पिलानी।
24. लीना पुत्री राधेश्याम, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 17, पिलानी।
25. रोहिताश कुमार पुत्र इंद्राराज, जाति माली, निवासी मांवडिया की ढाणी।
26. सरिता पत्नि योगेश कुमार, जाति माली, निवासी जयसुख की ढाणी बडागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

——अनावेदकगण

— — —

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

र्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0 एक्ट 1955 दावा संख्या /2021 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा ं0 104/2021 उनवानी संतोष बनाम रामेश्वर अदि अदालत उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, तारीख पेशी नांक 19.072022

– – –

उपस्थितः–

1. श्री अशोक लाम्बा, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री सन्दीप सैनी, एडवोकेट– अनावेदक सं0 2 लगायत 26 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि उपखण्ड अधिकारी बुहाना की अदालत मे क दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी संतोष देवी वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह, मु0न0 मश / व 104/2021 तारीख पेशी 19.07.2022 लम्बित है जिनमे आवेदक बतौर वादी सं0 क्षकार है तथा अनावेदक सं0 2 से 26 बतौर प्रतिवादी पक्षकार है। अनावेदक सं0 1 उपरोक्त यायालय की पीठासीन अधिकारी है। और उपरोक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे बतौर ादीगण पक्षकार है तथा उक्त प्रकरण तामिल मे चल रहा है। उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु त्येक पेशी पर अदालत मातहत मे आवेदक आता है और अनावेदक सं0 2 से 26 की तामिल मे ल रही है जिसमे आगामी तारीख प्शी 19.072022 नियत है। रामेश्वर एस0डी0एम0 के चैम्बर से ाहर निकलते हुए तथा एस0डी0एम0 के घर से बाहर निकलते हुए काफी बार देखा गया है और ार्थी को बार बार धमकी दे रहा है कि एस0डी0एम0 से हमने बात कर ली है। जल्द ही फाईल का ैसला हमारे पक्ष मे करवा लेगें। उक्त प्रकरण मे अदालत मातहत मे तारीख पेशी 20.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष रामेश्वर ने शीघ्र सुनवाई बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अनावेदक संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई बाबत 29.06.2022 नियत की है जिससे पष्ट होता है कि अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 लगायम 26 आपस मे मिले हुए है। उक्त क्षकारान् के मध्य प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी बउनवानी रामेश्वर बनाम संतोष देवी मुकदमा नं0 86/2021 अनावेदक संख्या 1 के यहां वास्ते तामिल हेतु दिनांक 27.05.2022 के लिए नियत था क्त प्रकरण मे अनावेदक संख्या 1 ने दिनांक 27.05.2022 को सभी अप्रार्थीगण की तामिल मानकर े दिनांक 06.06.2022 को उक्त पत्रावली का फैसला प्रार्थीगण के पक्ष मे कर दिया है। उक्त करण मे अप्रार्थीगण को तामिल हेतु सम्मन भेजे गये दिनांक 27.05.2022 के लिए भेजे गये थे तथा उक्त सम्मनों की रजिस्ट्री भी 27.05.2022 को ही करवाई गई थी तथा उसी दिन अनावेदक संख्या 1 अप्रार्थीगण अनावेदक संख्या 1 ने अप्रार्थीगण की तामिल मान ली गई थी। जबकि विपक्षीगण को ोटिस दिनांक से 2 दिन बाद मिले है जिनकी डिलीवरी रिपोर्ट की प्रतिफोटो साथ मे सलंग्न है था कुछ अप्रार्थीगण के तामिल सम्यक रूप से नहीं हो ... मान ली गई है तथा प्राकृतिक याय के सिद्वान्तों की पालना नही की गई है तथा ... केस सुसन साईड बन रहा है। इससे ाफ जाहिर होता है कि अनावदेक संख्या 1 ने अदालत परि... आवेदक की व्यंग्यात्मक दृष्टि से ह कहा कि **बकरे की मां कितने दिन** ... आवेदक ने उनसे कहा कि ाप यह कैसे कह रहे हो तो उस व्यक्ति ने कहा कि जि... शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश र दिया जायेगा उक्त पत्रावली का उसी दिन पत्रावली का निस्तारण कर दिया जावेगा। इस प्रकार ावेदक को यह पूर्ण शक हो गया कि प्रकरण मे अनावेदक सं0 2 से 26 व अनावेदक सं0 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:19 IST
Reason: SelfAttested

70

ाच कुछ ना कुछ सम्पर्क अै और आवेदक को अब अनावेदक सं0 1 से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद ही रही है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण को अन्यत्र अदालत मे सुनवाई हेतु ट्रांसफर किया जाना ाचित व आवश्यक है। अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन त्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक सं0 1 की अदालत मे लम्बित दावा सं0 / व प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा सं0 104/21 उनवानी संतोष देवी वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह तारीख पेशी 19. 7.2022 को सुनाई हेतु झुंझुनूं जिले की अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने का ादेश दिया जावे तथा पत्रावली मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, बुहाना से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक ातिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, ुहाना ने पत्रांक 304 दिनांक 31.08.2022 द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन केया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड 1 कानूनी होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 2 अस्वीकार । आवेदकगण स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र का खण्ड 3 अस्वीकार है। पक्षकार शीघ्र सुनवाई हेतु ीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है जिसमे विधिवत् ावेदकगण/अनावेदकगण को उसकी सूचना दी जाती है। इसके पश्चात् प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र ुनवाई पर सुने जाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। प्रार्थना पत्र का ाण्ड 4 अस्वीकार है। मुकदमा नम्बर 186/2021 बउनवानी रामेश्वर बनाम संतोष मे विधिवत् क्षकारों को तामिल करवाई जाकर विधिसम्मत् सुनवाई की गई। इसके पश्चात् प्रकरण मे निर्णय ारित किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण पत्थरगढी/सीमाज्ञान का है तथा सीमाज्ञान/पत्थरगढी 15 ून के पश्चात् किया जाना संभव नही होता है। यदि इस न्यायालय के निर्णय से सन्तुष्ट नही है तो वेधिसम्मत् अपील न्यायालय मे इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील करने के लिए स्वतंत्र है था विधि का प्रावधान है। शेष आवेदकगण स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र का खण्ड 5 अस्वीकार है। यायालय द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। न्यायालय द्वारा तारीख पेशी ा किसी प्रकार की कोई कांट–छांट नही की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपसी मामला है। स्वयं साक्ष्य पेश करें शेष भाग मे अंकित तथ्य आधारहीन है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं त्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 6 व 7 कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अंकित तथ्य आधारहीन है। अधोहस्क्षारकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्तारक्षरकर्ता प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमान्जी उचित समझते है तो प्रकरण को स्थानान्तरण करते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:19 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभि[illegible]ने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि [illegible] अदालत मे एक दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी सं[illegible] देवी वगैरह ब[illegible] रामेश्वर वगैरह, मु0न0 क्रमश / व 104/2021 तारीख पेशी 19.07.2022 ल[illegible] बतौर वादी सं0 पक्षकार है तथा अनावेदक सं0 2 से 26 बतौर प्रतिवादी पक्षकार है। अ[illegible]दक सं0 1 उपरोक्त न्यायालय की पीठासीन अधिकारी है। और उपरोक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे बतौर वादीगण पक्षकार है तथा उक्त प्रकरण तामिल मे चल रहा है। उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु प्रत्येक पेशी

र अदालत मातहत मे आवेदक आता है और अनावेदक सं0 2 से 26 की तामिल मे चल रही है जसमे आगामी तारीख प्शी 19.072022 नियत है। रामेश्वर एस0डी0एम0 के चैम्बर से बाहर निकलते ए तथा एस0डी0एम0 के घर से बाहर निकलते हुए काफी बार देखा गया है और प्रार्थी को बार बार मकी दे रहा है कि एस0डी0एम0 से हमने बात कर ली है। जल्द ही फाईल का फैसला हमारे पक्ष करवा लेगें। उक्त प्रकरण मे अदालत मातहत मे तारीख पेशी 20.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी होदय के समक्ष रामेश्वर ने शीघ्र सुनवाई बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अनावेदक संख्या ने उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई बाबत 29.06.2022 नियत की है जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक ख्या 1 अनावेदक संख्या 2 लगायम 26 आपस मे मिले हुए है। उक्त पक्षकारान् के मध्य प्रार्थना त्र बाबत पत्थरगढी बउनवानी रामेश्वर बनाम संतोष देवी मुकदमा नं0 186/2021 अनावेदक संख्या के यहां वास्ते तामिल हेतु दिनांक 27.05.2022 के लिए नियत था उक्त प्रकरण मे अनावेदक ख्या 1 ने दिनांक 27.05.2022 को सभी अप्रार्थीगण की तामिल मानकर के दिनांक 06.06.2022 को क्त पत्रावली का फैसला प्रार्थीगण के पक्ष मे कर दिया है। उक्त प्रकरण मे अप्रार्थीगण को तामिल तु सम्मन भेजे गये दिनांक 27.05.2022 के लिए भेजे गये थे तथा उक्त सम्मनों की रजिस्ट्री भी 27. 5.2022 को ही करवाई गई थी तथा उसी दिन अनावेदक संख्या 1 ने अप्रार्थीगण अनावेदक संख्या ने अप्रार्थीगण की तामिल मान ली गई थी। जबकि विपक्षीगण को नोटिस दिनांक से 2 दिन बाद ले है जिनकी डिलीवरी रिपोर्ट की प्रतिफोटो साथ मे सलंग्न है तथा कुछ अप्रार्थीगण के तामिल म्यक रूप से नही हो पर तामिल मान ली गई है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नही ी गई है तथा न्यायालय प्रोक्यूसन साईड बन रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अनावदेक ख्या 1 ने अदालत परिसर मे आवेदक को व्यंग्यात्मक दृष्टि से यह कहा कि **बकरे की मां कितने न क्षैर मनायेगी** और यह कहा तो आवेदक ने उनसे कहा कि आप यह कैसे कह रहे हो तो उस क्ति ने कहा कि जिस दिन शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जायेगा उक्त पत्रावली ा उसी दिन पत्रावली का निस्तारण कर दिया जावेगा। इस प्रकार आवेदक को यह पूर्ण शक हो या कि प्रकरण मे अनावेदक सं0 2 से 26 व अनावेदक सं0 1 के बीच कुछ ना कुछ सम्पर्क अै और वेदक को अब अनावेदक सं0 1 से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति मे उक्त करण को अन्यत्र अदालत मे सुनवाई हेतु ट्रांसफर किया जाना उचित व आवश्यक है। अतः वेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक सं0 1 की अदालत मे लम्बित दावा सं0 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 104/21 उनवानी संतोष देवी वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह रीख पेशी 19.07.2022 को सुनाई हेतु झुंझुनूं जिले की अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित ये जाने का आदेश दिया जावे तथा पत्रावली मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 2 लगायत 26 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क स्तुत किया कि प्रकरण मे अप्रार्थी सं0 2 पर लगाये गये आरोप सही नही है। अप्रार्थी सं0 2 की म्र 85 साल है जो घर से निकलता ही नही है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 ो प्रभावित नही किया जा सकता है। प्रकरण मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:19 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण मे नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही ी जा रही है। पीठासीन अधिकारी पर कोई गंभीर आरोप नही है। प्रकरण मे देरी के उददेश्य से ह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज रमाया जावे।

72

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना त्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी दावा संख्या 36/2021 एवं प्रार्थना पत्र सं0 104/2021 अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी संतोष देवी बनाम रामेश्वर गैरह का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही ता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय पखण्ड अधिकारी, बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं ाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:19 IST
Reason: SelfAttested